# पाठ्यक्रम के उद्देश्य
## (Objective of Curriculum)

शिक्षा की प्रक्रिया के तीन प्रमुख घटक होते हैं—

(1) शिक्षक, (2) शिक्षार्थी तथा (3) पाठ्यक्रम। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र के अन्त:क्रिया (Interaction) पाठ्यक्रम के माध्यम से होती हे। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करते हैं। इन तीनों घटकों के पारस्परिक अन्त:प्रक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षण में तीनों घटकों का विशेष महत्त्व होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है, शिक्षक साध्य तथा छात्र साधक होता है। पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है—

(1) पाठ्यक्रम बालक के सम्पूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को सम्पादित किया जाता है।।

(2) पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृतिक तथा सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास करना।

(3) पाठ्यक्रम को बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना।

(4) पाठ्यक्रम को बालक की चिन्तन, मनन तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना।

(5) पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों तथा क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार नाना प्रकार की सर्जनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना।

(6) पाठ्यक्रम को सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों एवं कलाओं तथा धर्मों के आवश्यक ज्ञान द्वारा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिये जो प्रत्येक परिस्थिति में साधनपूर्ण तथा साहसपूर्ण बनकर नवीन मूलयों का निर्माण करना।

(7) पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिये अन्वेषकों का सृजन करना।

(8) पाठ्यक्रम को विषयों तथा क्रियाओं के बीच की खाई कों पाटकर बालक के सामने ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना जो उसके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिये उपयोगी बनाना।

(9) पाठ्यक्रम को बालक में जनतंत्रीय भावना का विकास करना।

(10) पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षक तथा छात्र के मध्य अन्त:प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारित करना।

## पाठ्यक्रम के मूल तत्त्व
## (Basic Elements of Curriculum)

शिक्षा की प्रक्रिया का सम्पादन शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी क्रियाओं का नियोजन कक्षा शिक्षण के लिये करता है। उसके प्रमुख तीन तत्त्व होते हैं—उद्देश्य, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियाँ। 'पाठयक्रम' विकास में पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों को महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। एक पाठ्यवस्तु से कई उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं परन्तु अधिगम-अवसरों एवं परिस्थितियाँ उद्देश्यों के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु विशिष्ट अधिगम-परिस्थितियों का नियोजन किया जाता है। शिक्षण तथा अधिगम क्रियायें पाठ्यक्रम के ही प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम के चार मूल तत्त्व माने जाते हैं—उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ तथा मूल्यांकन। इन तत्त्वों में गहन सम्बन्ध होता है।

**1. उद्देश्य**—पाठ्यवस्तु शिक्षण विधियों तथा परीक्षण का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। अधिगम-परिस्थितियों के स्वरूप से इन्हें प्राप्त करते हैं।

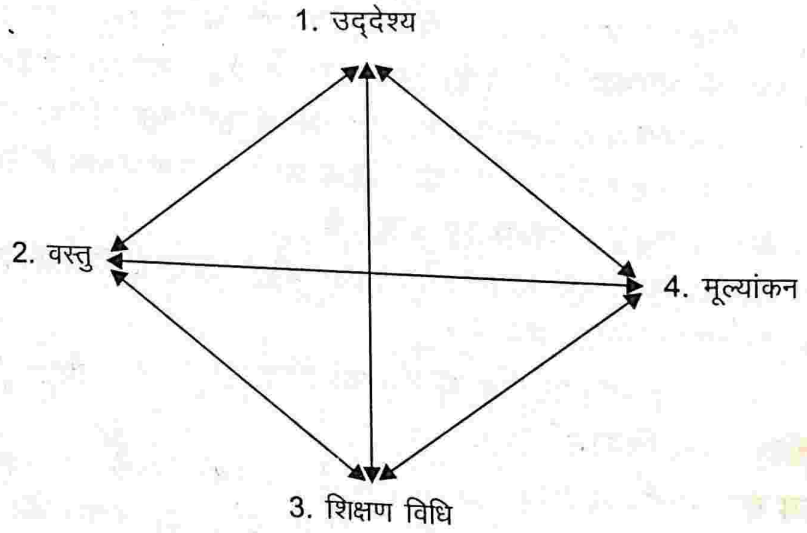


**2. पाठ्यवस्तु**—पाठ्यवस्तु का स्वरूप अधिक व्यापक होता है। अधिगम परिस्थितियाँ तथा परीक्षण परिस्थितियाँ उसके स्वरूप को सुनिश्चित करती है।

**3. शिक्षण विधियाँ**—उपयुक्त शब्द शिक्षण आव्यूह का चयन उद्देश्यों की प्राप्ति से किया जाता है। शिक्षण विधियों का सम्बन्ध पाठ्यवस्तु से होता है। शिक्षण आव्यूह अधिगम-परिस्थितियों को उत्पन्न करती है जिससे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किये जाते हैं जो पाठ्यवस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं।

**4. मूल्यांकन**—परीक्षण द्वारा पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों की उपादेयता के सम्बन्धम में जानकारी होती है और पाठ्यक्रम के विकास के लिये दिशा भी मिलती है।

## पाठ्यक्रम का शैक्षिक तत्वों से सम्बन्ध
## (Relationship of Curriculum to Educational Elements)

पाठ्यक्रम का शैक्षिक तत्त्वों के गहन सम्बन्ध होता है। शिक्षा-प्रक्रिया के अन्तर्गत चार प्रमुख तत्व होते हैं—शिक्षण, अधिगम, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक आयोजन। शिक्षण तथा अधिगम में सम्बन्ध होता है क्योंकि

शिक्षण क्रियाओं से अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिनमें छात्र अनुभव करता है जिससे उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण क्रियाओं का सम्पादन पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है, जिसका स्वरूप पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। विद्यालय में शैक्षिक आयोजन (Educational Organization) के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का नियोजन कियाजाता है जिससे शैक्षिक परिस्थितियाँ आयोजित की जाती हैं इस प्रकार के चारों तत्त्वों के आपसी सम्बन्ध का विवेचन एवं प्रस्तुतीकरण 'हासफोर्ड' ने अपनी पुस्तक (Theory and Instruction) के अन्तर्गत किया है। इन्होंने शिक्षा के चार तत्वों के महत्व को दिया है।

(अ) अधिगम (छात्र) (ब) शिक्षण (शिक्षक) (स) पाठ्यक्रम तथा (द) शैक्षिक आयोजन

(अ) अधिगम वह प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन लाती है।

(ब) शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिगम में सुगमता प्रदान करती है।

(स) पाठ्यक्रम में विद्यालयों द्वारा नियोजन अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है।

(द) शैक्षिक आयोजन में समस्त शैक्षिक अनुभवों की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो विद्यालय में तथा विद्यालय से बाहर की जाती है।

इन चारों पक्षों की अन्त:प्रक्रिया में घटकों (Factors) का विवरण इस प्रकार है–

**शिक्षा के चारों पक्षों में अन्त:प्रक्रिया का स्वरूप**

(1) इसमें पाठ्यक्रम के उस पक्ष को शैक्षिक आयोजन में सम्मिलिजत किया जाता है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है।

(2) इसमें शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम तीनों के मध्य अन्त:प्रक्रिया होती है।

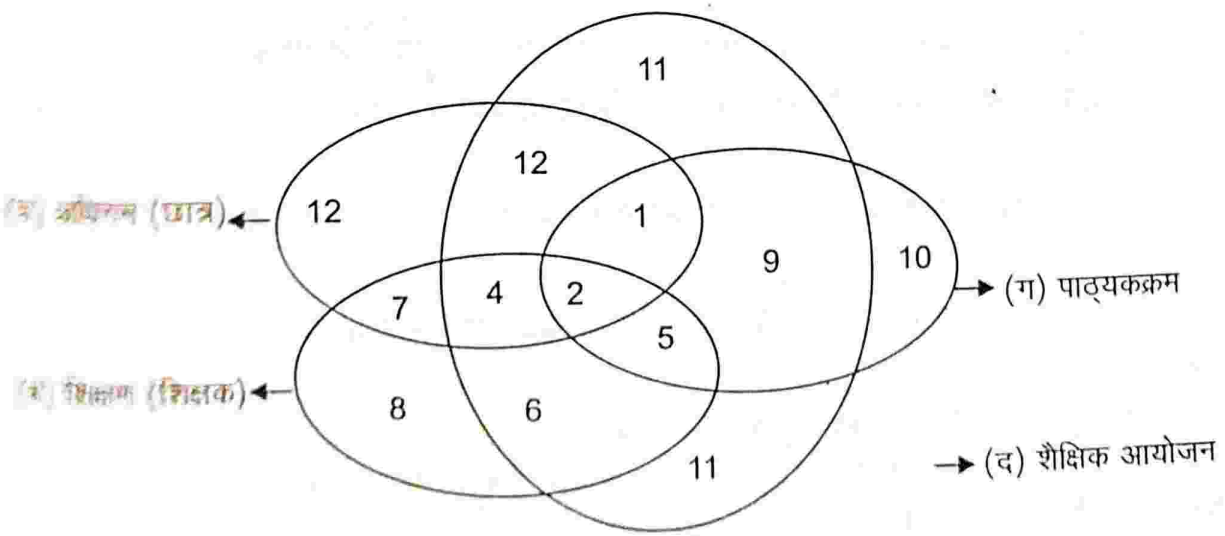


(3) छात्र शैक्षिक-आयोजन में बिना पाठ्यक्रम तथा शिक्षक के अन्त:प्रकिया करता है।

(4) छात्र तथा शिक्षक में पाठ्यक्रम के बिना शैक्षिक आयोजन से अन्त:प्रक्रिया होती है।

(5) शिक्षक तथा पाठ्यक्रम के मध्य शैक्षिक-आयोजन के अन्तर्गत अन्त:प्रक्रिया होती है।

(6) शिक्षक तथा शैक्षिक-आयोजन के मध्य बिना पाठ्यक्रम के अन्त:प्रक्रिया होती है।

(7) शिक्षक तथा छात्र के मध्य बिन पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक-आयोजन के अन्तर्गत अन्त:प्रकिया होती है।

(8) शिक्षक का व्यवहार बिना पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक-आयोजन के होता है।

(9) पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक-आयोजन की अन्त:प्रक्रिया जो छात्र तक नहीं पहुँचती है

(10) पाठ्यक्रम जिसका शैक्षिक-आयोजन में प्रयोग न किया जाये और न छात्रों तक पहुँच सके।

(11) शैक्षिक-आयोजन का वह कार्यक्रम जिसे प्रयुक्त न किया जा सके।

(12) छात्र का समस्त अधिगम शैक्षिक-आयोजन, शिक्षण तथा पाठ्यक्रम के द्वारा ही नहीं होता। इसमें छात्र का वह अधिगम सम्मिलित किया जाता है जो अन्य माध्यमों से होता है।

इस प्रकार पाठ्यक्रम तत्त्व की भूमिका शिक्षा परिस्थितियों के नियोजन के लिये अहम होती है।

# पाठ्यक्रम की आवश्यकता
## (Need of Curriculum)

शिक्षा की आवश्यकता और पाठ्यक्रम की आवश्यकता समान है। परन्तु ऐतिहासिक समीक्षा से विदित होता है कि ये आवश्यकतायें बदलती रही हैं। इसलिये इन सभी आवश्यकताओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है—

(1) ज्ञान प्राप्त करने के लिये अन्य जीवों से प्रमुख भिन्नता मानव की ज्ञान की दृष्टि मानी जाती है।

(2) मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिये। विभिन्न विषयों शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है।

(3) व्यवसाय तथा नौकरियों के लिये तैयार करना। शिक्षा से नौकरियों के लिये तैयार होती है। ब्रिटिश काल में बाबू तैयार किये जाते थे।

(4) छात्रों में अभिरुचियों करने के लिये। छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करना।

(5) प्रजातन्त्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। ऐसे नागरिकों की तैयार करना जो प्रजातन्त्र को नेतृत्व प्रदान कर सकें।

(6) छात्रों को व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण देकर तैयार करना। नई शिक्षा नीति की प्राथमिकता है।

(7) आम मानवी गुणों के विकास के लिये शिक्षा में महत्त्व दिया जाता है। आत्मानुभूमि का विकास किया जाय।

(8) सामाजिक आवश्यकताओं के लिये नागरिकों को तैयार करना। तथा सौंदर्यानुभूति गुणों का विकास करना।

(9) प्रमुख आवश्यकता आज जीने की है कि आज परिस्थितियों में जीवित रह सके। इसके लिये प्रशिक्षण दिया जाय।

**1. अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम**—इसका आधार भी जनतान्त्रिक होता है। अनुभव-केन्द्रित पाठयक्रम द्वारा स्कूल और समाज में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है तथा यह बालकों की मानसिक एवं सर्जनात्मक योग्यताओं को विकसित करके उनमें नेतृत्व और स्वा शासन का विकास करता है।,

**2. कार्य-केन्द्रित पाठ्यक्रम** (Activity-Centred Curriculum)—कार्य-केन्द्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है जॉन डीवी का मत है कि कार्य-केन्द्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के कने में रुचि लेने लगेगा जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है।

**3. बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम** (Child-Centred Cirruculum)—बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषयों की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है जिससे उसके व्यक्तितव का सर्वांगीण विकास होता रहे। मान्टेसरी, किन्डरगार्टन, तथा योजना पद्धतियाँ बालकेन्द्रित पाठ्यक्रम के ही उदाहरण हैं।

**4. शिल्पकला-केन्द्रित पाठ्यक्रम** (Craft-Centred Curriculum)—शिल्पकला-केन्द्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्प-कलाओं जैसे कताई, बुनाई, चमड़े, तथा लकड़ी के काम आदि को केन्द्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाये। हमारे देश की वर्तमान 'बेसिक शिक्षा' में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है।

**5. सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम** (Correlated Curriculum)—सुसम्बद्ध-पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहत हैं जिसमे विभिन्न विषयों को अलग-अलग न पढ़ा कर एक दूसरे से सम्बन्धित करके पढ़ाने की व्यवस्था हो। वस्तुस्थिति यह है कि ज्ञान एक इकाई है। अत: सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग-अलग न बाँट कर सम्बन्धित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

**6. कोर-पाठ्यक्रम** (Core-Curriculum)—कोर-पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहत हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमरीका की देन है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में ऐसे अनुभव प्रदान किये जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलता पूर्वक सुलझाते हुए कुशल, तथा समाजोपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाये। संक्षेप में कोर पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का अधिक से विकास करना है। इस पाठ्यक्रम की कई विशेषतायें भी हैं। पहली विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। दूसरे, विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। तीसरे, यह पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित है तथा चौथे, इसके द्वारा बालकों को कार्यों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के सुलझाने का अभ्यास कराया जाता है।

## प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम के दोष
## (Defects of Existing Secondary Curriculum)

भारतीय शिक्षा के प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का निर्माण ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। परिणामस्वरूप इसके अन्तर्गत उन सभी विचारों, क्रियाओं तथा अनुभवों एवं विषयों का अभाव है जो स्वतन्त्र भारत के बालकों को उत्तम नागरिक बना सकें। यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम की शिक्षक, बालक तथा अभिभावक सभी लोग आये दिन निन्दा करते रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हमारे प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दोष है—

**1. संकुचित आधार** (Narrow Basis)—माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा क्षमताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण अवहेलना करते हुए केवल विश्वविद्यालयों की शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। अत: इसका आधार अथवा दृष्टिकोण अत्यन्त सकुंचित है।

**2. पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान पर बल** (Emphasis on Bookish and Thecoretical Knowledge)—चूँकि माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रभाव है, इसीलिये यह भी पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान पर ही बल देता है। ऐसे पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान को प्राप्त करके बालक व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं।

**3. विषयों से अधिक बोझल** (Overcrowded with Subjects)—प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेषज्ञों की दृष्टि से किया गया है। दूसरे शब्दों में इसके अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक विषयों को स्थान दिया गया है, चाहे वे बालकों के लिए उपयोगी हों अथवा नहीं। विषयों के इस भारी बोझ से बालक हर समय दबे रहते हैं। दुख की बात यह है कि इन विषयों को न तो बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार

ही छांटा गया है और न ही एक विषय का दूसरे विषय के साथ सह-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इससे बालक ज्ञान के समग्र रूप से वंचित रह जाते हैं।

**4. जीवन से असम्बन्धित** (Unrelated with life)—माध्यमिक शिक्षा आयोग के ही शब्दों में—"माध्यमिक शिक्षा की भाँति माध्यमिक पाठ्यक्रम का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बालकों को जीवन के लिये तैयार करने में असफल रहा है, यह वहाँ से बाहर की दुनिया का उन्हें कोई अभ्यास नहीं कराता, जिसमें वे शीघ्र ही प्रवेश करने वाले है।"

**5. व्यक्तिगत भेदों को कोई स्थान नहीं** (No Place for Individual Differences)—किशोर अवस्था में व्यक्तिगत विभिन्नतायें स्पष्ट हो जाती हैं। पर प्रचलित पाठ्यक्रम इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना करते हुए प्रत्येक बालक के लिए एक सी ही विषय-वस्तु प्रस्तुत करता है। यह अमनोवैज्ञानिक है।

**6. परीक्षा-केन्द्रित** (Examination-Contred)—प्रचलित पाठ्यक्रम का एक मात्र उद्देश्य बालक को परीक्षा के लिए तैयार करना है। अत: सभी शिक्षक परीक्षा में आने वाली सम्भावित विषय सामग्री के बताने में तथा बालक उसके रटने में हर समय जुटे रहते हैं। इससे बालकों को किसी विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता।

**7. तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों की कमी** (Lack of Technical and Vocational Subjects)—प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। इससे न तो हमारे बालकों में श्रम के प्रति महत्व की भावना जागृत हो रही है और न ही देश की वास्तविक औद्योगिक उन्नति हो पा रही है।

**8. नैतिक तथा यौन शिक्षा का अभाव** (Lack of Sex and Moral Education)—प्रचलित पाठ्यक्रम में यौन तथा नैतिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप बालकों में यौन अपराध की संख्या तथा चरित्रहीनता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

**9. जनतन्त्र के लिये अयोग्य** (Unsuitable for Democracy)—प्रचलित पाठ्यक्रम में जनतन्त्रीय आदर्शों का समावेश नहीं है। अत: इसके द्वारा बालकों में जनतन्त्रीय भावना का विकास करना असम्भव है। चूँकि हमारे देश में अब जनतन्त्रीय व्यवस्था स्वीकार कर ली है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा का प्रचलित पाठ्यक्रम हमारे बालकों के लिये व्यर्थ है।

## पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सुझाव
## (Suggestions for Improvement in the Curriculum)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम में अनेक दोष हैं। इन दोषों के कारण यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में असफल हो गया। पाठ्यक्रम के उक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुधार के विषय में दिये गये सुझावों पर प्रकाश डाल रहे हैं—

(1) प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम बाल-केन्द्रित होना चाहिये।

(2) पाठ्यक्रम को बालकों की विभिन्न-रुचियों, आवश्यकताओं, तथा प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिये।

(3) पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिये।

(4) पाठ्यक्रम को बालक के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास करना चाहिए।

(5) पाठ्यक्रम को अवकाश के सदुपयोग की शिक्षा देनी चाहिये।

(6) पाठ्यक्रम को सामुदायिक जीवन से समायोजन करने में सहायता करनी चाहिये।

(7) पाठ्यक्रम को बालकों के जीविकापार्जन की समस्या को हल करनी चाहिये।

(8) पाठ्यक्रम के विषय अलग-अलग न होकर एक दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिये।

(9) उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम विविध (Diversified) होना चाहिये। ऐसे विविध पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिये तथा बहुत से विषय ऐसे होने चाहिये जिनमें से प्रत्येक बालक अपनी-अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कुछ विषय चुन सके। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया है—

(अ) **मुख्य विषय** (Core Subject)—(1) भाषा, (2) सामान्य विज्ञान, (3) समाजशास्त्र तथा (4) हस्तकला।

(ब) **ऐच्छिक विषय** (Optional Subjects)—मुख्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक बालक को निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्गों के अन्तर्गत तीन विषय चुनने चाहियें—

(1) मानवीय (Humanities)

(2) वैज्ञानिक (Sciences)

(3) प्राविधिक (Technical)

(4) व्यावसायिक (Commercial)

(5) कृषि (Agriculture)

(6) ललित कला (Fine Arts)

(7) गृह विज्ञान (Home Science)

## पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के सुझाव
## (Suggestions of Kothari Commission Regarding Curriculum)

**कोठारी शिक्षा आयोग** ने भी माध्यमिक शिक्षा आयोग की भांति प्रचलित पाठ्यक्रम के अनेक दोषों को दृष्टि में रखते हुए लोअर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेण्डरी स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं—

**1. लोअर प्राइमरी स्तर** (Lower Primary Level)—आयोग ने सुझाव दिया है कि लोअर प्राइमरी अर्थात पहली से चौथी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, कार्य-अनुभव, सर्जनात्मक क्रियायें, स्वास्थ्य-शिक्षा तथा समाज-सेवा आदि विषयों को स्थान मिलना चाहिये।

**2. हायर प्राइमरी स्तर** (Higher Primary Level)—आयोग ने सुझाव दिया है कि हायर प्राइमरी अर्थात् पाँचवी से सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, दो भाषायें, विज्ञान, गणित, समाज-सेवा, सामाजिक-अध्ययन, कला तथा शारीरिक शिक्षा आदि विषयों को सम्मिलित किया जाये।

**3. लोअर सेकेण्डरी स्तर** (Lower secondary Level)—आयोग ने सुझाव दिया है कि लोअर सेकेण्डरी अर्थात आठवीं से दसवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीन भाषायें, विज्ञान, गणित, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाज-सेवा, कार्य-अनुभव (Work Experiences), शारीरिक शिक्षा, तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए।

**4. हायर सेकेण्डरी स्तर** (Higher Secondary Level)—आयोग ने सुझाव दिया है कि इस स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाने चाहियें।

(1) कोई सी दो भाषायें—जिनमें कोई सी वर्तमान भारतीय भाषा सम्मिलित हो तथा कोई भी वर्तमान विदेशी भाषा (Classical) चुनी जाये।

(2) निम्नलिखित में से कोई से तीन विषय लिये जायें—

एक अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, जीव-विज्ञान, गृहविज्ञान तथा भूगर्भ शास्त्र।

(3) कार्य अनुभव एवं समाज सेवा।

(4) शारीरिक सेवा।

(5) कला अथवा चित्रकला।

(6) नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की क्रिया।

प्रचलित पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिये दोनों शिक्षा आयोगों द्वारा दिये गये उपर्युक्त सुझावों पर दृष्टि डालने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं